

आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2022

का.आ. 1071(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि, जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का नाम पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह आदेश 12 सितंबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-2]

एन. के. संतोषी, उप महानिदेशक

टिप्पण: मूल आदेश को दिनांक 13 सितंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3930(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the, 10th March, 2022

S.O. 1071(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Polycarbonate (Quality Control) Order, 2021, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the Polycarbonate (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Polycarbonate (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 12th day of September, 2022.”

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 2]

N. K. SANTOSHI, Dy. Director General

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3930(E), dated the 13th September, 2021.